न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बादो आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 22/2024
निर्णय दिनांक 03/11/2025

1. बादो पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. कलावती पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. मंजू पत्नी सूलतान जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. रोशनी पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

वादीनीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा कालवास पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या नया 208 , पुराना खाता सं. 190 के खसरा सं. 712/645 तादादी 1.5174 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 209, पुराना खाता सं. 191 के खसरा सं. 646/446 तादादी 0.6070 हैक्ट., ख.नं. 713/645 तादादी 2.1749 हैक्ट. कुल खसरे 02 कुल तादादी 2.7819 हैक्ट. में वादीनीगण 1/4 हिस्से की राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदार दर्ज है। वादीनीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में वादीनीगण का नाम कम्प्यूटर की त्रुटि से वर्तमान राजस्व जमावंदी में वादीन सं. 1 बादो पत्नी प्रतापसिंह का नाम राजबाला पत्नी प्रतापसिंह, वादीनी सं. 2 कलावती पत्नी रणजीत का नाम कलावती पत्नी रणजीतसिंह व वादीनी सं. 3 मंजू पत्नी सूलतान का नाम मंजुदेवी पत्नी सुल्तानसिंह व वादीनी सं. 4 का रोशनी पत्नी ओम प्रकाश का नाम रोशनी देवी पत्नी ओमप्रकाश एवं निवास स्थान रामसरा की बजाय रामपुरात एवं रामसरात गलत दर्ज हो गया। जबकि वादीनी सं. 1 का सही नाम बादो पत्नी प्रताप सिंह, वादीनी सं. 2 का कलावती पत्नी रणजीत, वादीनी सं. 3 का मंजू पत्नी सूलतान व वादीनी सं. 4 का सही नाम रोशनी पत्नी ओम प्रकाश निवासीनीगण रामसरा तहसील भादरा है। वादीनीगण का उपरोक्त दोनों राजस्व जमाबंदियों में नाम व पता गलत दर्ज होने के कारण वादीनीगण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। जिससे वादीनीगण को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये वादीनीगण अपने नाम व पते के उपरोक्त रिकार्ड को दुरूस्त करवाना चाहती है। वादीनीगण के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजातों में अंकित नाम व पता सही है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 209. पुराना खाता सं. 191 के खसरा नं. खसरा नं. 646/446 तादादी 0. 6070 हेक्टेयर, खसरा नं. 713/645 तादादी 2.1749 हेक्टेयर कुल खसरे 2 कुल तादादी 2.7819 हेक्टेयर वाके रोही मौजा ग्राम कालवास पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू की वर्तमान राजस्व जमावंदी सम्वत् 2076–2079 में वादीनी सं. 1 बादो पत्नी प्रताप सिंह का नाम राजबाला पत्नी प्रतापसिंह व वादीनी सं. 2 कलावती पत्नी रणजीत का नाम कलावती देवी पत्नी रणजीतसिंह व वादीनी सं. 3 मंजू पत्नी सूलतान का नाम मंजुदेवी पत्नी सुल्तानसिंह व वादीनी सं. 4 रोशनी पत्नी ओम प्रकाश का नाम रोशनी देवी पत्नी ओमप्रकाश गलत दर्ज है तथा कृषि भूमि खाता संख्या नया 208, पुराना खाता सं. 190 के खसरा नं. 712/645 तादादी 1.5174 हेक्टेयर वाके रोही मौजा कालवास पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू की वर्तमान राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में वादीनी सं. 1 बादो पत्नी प्रताप सिंह का नाम राजबाला पत्नी प्रतापसिंह व वादीनी सं. 2 कलावती पत्नी रणजीत का नाम कलावती पत्नी रणजीतसिंह व वादीनी सं. 3 मंजू पत्नी सूलतान का नाम मंजुदेवी पत्नी सुल्तानसिंह व वादीनी सं. 4 रोशनी पत्नी ओमप्रकाश व सभी वाटीनीगण का निवास स्थान रामसरा की बजाय रामपुरा गलत दर्ज है, को दुरूस्त कर, खाता सं. नया 209 व पुराना 191 की राजस्व जमांबदी सम्वत् 7076–2079 में वादीनी सं. 1 का नाम राजबाला पत्नी प्रतापसिंह की जगह बादो पत्नी प्रताप सिंह व वादीनी सं. 2 का नाम कलावती देवी पत्नी रणजीतसिंह की जगह कलावती पत्नी

Rajendra

रणजीत व वादीनी सं. 3 का नाम मंजुदेवी पत्नी सुल्तानसिंह की जगह मंजू पत्नी सूलतान तथा वादीनी सं. 4 का नाम रोशनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश की जगह रोशनी पत्नी ओम प्रकाश दर्ज किये जाने तथा खाता सं. नया 208 व पुराना 190 की राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में वादीनी सं. 1 का नाम राजवाला पत्नी प्रतापसिंह की जगह बादो पत्नी प्रताप सिंह, वादीनी सं. 2 का नाम कलावती पत्नी रणजीतसिंह की जगह कलावती पत्नी रणजीत तथा वादीनी सं. 3 का नाम मंजुदेवी पत्नी सुल्तानसिंह की जगह मंजू पत्नी सूलतान व वादीनी सं. 4 रोशनी पत्नी ओमप्रकाश की जगह रोशनी पत्नी ओम प्रकाश तथा सभी वादीनीगण का गलत पता रामपुरा की जगह रामसरा तहसील भादरा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। आपकी वड़ी कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीनीगण का निवास स्थान रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ होने के कारण संबंधित पटवारी से जांच करवाये जाने वावत लिखा है। तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ से जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार भादरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवार हल्का ने जांच रिपोर्ट में बताया कि बादो पत्नी प्रताप सिंह ही राजबाला पत्नी प्रतापसिंह, कलावती पत्नी रणजीतसिंह ही कलावती पत्नी रणजीत, मंजु देवी पत्नी सुल्तानसिंह ही मंजू पत्नी सूल्तान एवं रोशनी पत्नी ओमप्रकाश ही रोशनी पत्नी ओम प्रकाश है और निवास स्थान रामपुरा की जगह रामसरा है। वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है। वकील वादी ने वादीनीगण के शपथ पत्र दिनांक 03.11.2025 को प्रस्तुत किये एवं बयान लेखवद्ध करवाये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादीनीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीनीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीनीगण के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया व लेखबद्ध बयानों तथा संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व राशन कार्ड में वादीनीगण का नाम बादो पत्नी प्रताप सिंह, कलावती पत्नी रणजीत, मंजू पत्नी सूलतान एवं रोशनी पत्नी ओम प्रकाश तथा निवास स्थान ग्राम रामसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ पाया जाता है। वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं बयानों से भी वाद पत्र की पुष्टि होती है।

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा कालवास पटवार हल्का कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या नया 208 , पुराना खाता सं. 190 के खसरा सं. 712/645 तादादी 1.5174 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 209, पुराना खाता सं. 191 के खसरा सं. 646/446 तादादी 0. 6070 हैक्ट., ख.नं. 713/645 तादादी 2.1749 हैक्ट. कुल खसरे 02 कुल तादादी 2.7819 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीनीगण का नाम **राजबाला पत्नी प्रतापसिंह, कलावती पत्नी रणजीतसिंह, मंजूदेवी पत्नी सुल्तानसिंह, रोशनी पत्नी ओमप्रकाश एवं निवास स्थान रामपुरात व रामसरात Delete** कर इसके स्थान पर **बादो पत्नी प्रताप सिंह, कलावती पत्नी रणजीत, मंजू पत्नी सूलतान, रोशनी पत्नी ओम प्रकाश एवं निवास स्थान रामसरा तहसील भादरा** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (मुहर)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)